<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट मेरठ।</u>

उपस्थितः अमित वीर सिंह (J.O.Code 6240)

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2758/2026

आकिब उर्फ फकीर पुत्र रियासत, निवासी ग्राम खजूरी, थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. सरकार .....अभियोजन

मु.अ.सं. 208/2022
धारा 354,354 बी,323,506 बी.एन.एस.
व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना- परीक्षितगढ़, जिला- मेरठ।

<u>दिनांक 29.05.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त **आकिब उर्फ फकीर** की ओर से मु.अ.सं. 208/2022 धारा 354,354 बी,323,506 बी.एन.एस. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना-परीक्षितगढ़ जिला- मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में वादिया ने पुलिस से साज करके झूठा फसाया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.5.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा सादा निहायत गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है वृद्ध माता पिता है तथा मेहनत मजदूरी करता है।यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमा माननीय न्यायालय स्पेशल जज एस०सी०/एस०टी० एक्ट के यहां विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय में अपनी नियत तिथियो पर हाजिर नही होने के कारण माननीय न्यायालय ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिये थे। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करने सूरत गुजरात में ठेकेदार के पास चला गया था ठेकेदार ने आने नही दिया जिस कारण माननीय न्यायालय में हाजिर नही हुआ जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिये गये तथा अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नही हो पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय में

प्रत्येक नियत तिथि पर अदालत में हाजिर होता रहेगा तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा क्षमा याचना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त का फरार एवं भगौडा होने का अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश नही करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है। अभियुक्त को वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया है। अभियुक्त इस केस में दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आकिब उर्फ फकीर,** की ओर से मु.अ.सं. 208/2022 धारा 354,354 बी,323,506 बी.एन.एस. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना- परीक्षितगढ़, जिला-मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये-

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा।

2 आवेदक/अभियुक्त साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा औरन धमकायेगा और न ही उन्हें प्रभावित करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन की मांग किये ईमानदारी से परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके।

5. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिये निर्धारित तारीखों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा, अगर गवाह अदालत में मौजूद है।

6. आवेदक/अभियुक्त मामला खोलने, आरोप तय करने और धारा 313 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक/अभियुक्त इस शर्त का चूक जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जायेगी।

7. इस आदेश की एक प्रति E-mail के माध्यम से जिला कारागार मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांक: 29.05.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, मेरठ
J.O. Code No. UP-6240

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.05.29 05:26:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court